

18/6/2024

फर्द अहकाम (नियम 15)

2024/92

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ सुखचेनसिंह बनाम महेन्द्रसिंह आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 177 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
06.05.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 10.06.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">म १</p> <p style="text-align: center;"> कुलाए फ सेशन उपास्थत/PU मारे इनायत पत्रावली 12.8.2024 दिनांक 12.8.2024 न पेश हो </p>	
10.6.2024	<p>वकील वादी ने पत्रावली-पत्रावली पेशी पेश करते पर पत्रावली को पेशी में लिखा गया। वकील वादी ने अत्रेदन किया कि वाद-पत्र आगे गयी पत्रावली-वादे हैं। मधुदा सिधार्थ में खारीज करवाना-कादरे हैं। काउ-काउ-पत्र मधुदा सिधार्थ में खारीज की जाती है। पत्रावली गकर से काउ की जाकर काउ-वादी व काउ-वादी लखिल हफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">म १</p>	<p>सुरेश कुमार शिखर</p> <p>9657</p> <p>बलराम शिखर</p>

